

(ब) यदि हाँ तो किन-किन देशों के साथ बातचीत की गई है और क्या इस बात-चीत संतोषजनक परिणाम निकाले हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो भावी कार्यवाही की मोटों तौर पर रूप-रेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री : (श्री प्रणव मुखर्जी) :
(क) से (छ) यह सही है कि भारतीय ठेकेदारों/निर्यातकों द्वारा इराक को परियोजना/उत्पाद निर्यातों की वजह से कुल 640 मिलियन अमरीकी डालर की राशि इराक पर बकाया है। इस राशि में से भारत-इराक आस्थगित भुगतान प्रबन्धों के तहत प्राप्त की जाने वाली राशि 485 मिलियन अमरीकी डालर है। भारत तथा इराक की सरकारों के बीच आस्थगित भुगतान प्रबन्धों के तहत इराक से तेल की खरीदारी के लिए तेल भुगतानों का कुछ अंश परियोजना निर्यातकों को देय राशि में समायोजित कर दिया गया है। खाड़ी संकट आरम्भ होने तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा व्यापार रोक लगाए जाने से कच्चे तेल का आयात नहीं किया जा सका था और इसलिए अगस्त 1990 से आस्थगित भुगतान प्रबन्ध के तहत बाँटी भुगतान वसूल नहीं किए गए। सरकार ने इस संभावना के संबंध में कि इराक जनवरी 1991 में भारतीय निर्माण कंपनियों को देय राशि के बदले भारत को तेल दे, इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् समिति के साथ उठाया है। परंतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् समिति की प्रतिक्रिया असुल नहीं रही है। अतः इराक से ओर आगे भुगतान लेने के प्रबन्ध इराक पर लगी संयुक्त राष्ट्र व्यापार रोक हटाए जाने के बाद ही किए जा सकेंगे।

Issue of Ration Cards to illegal migrants

*187. SHRI SATYA PRAKASH MALVIYA :
SHRI SATISH PRADHAN :

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal to change the procedure for 1097 RSS/94—3.

issuing ration card to prevent illegal foreign nationals, especially Bangladeshi infiltrators, who are getting ration cards very easily in the country, particularly in Delhi, Bihar and Assam, if so, the details thereof;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) the details of the measures taken proposed to be taken to prevent illegal migrants from Bangladesh from getting ration cards ?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI A.K. ANTONY):

(a) to (c) The operational responsibility for implementing the Public Distribution System (PDS) in the country is with the State Governments and UT Administration. Decisions regarding the opening of fair price shops, eligibility criteria for issue of ration cards to the bona fide consumers and operational procedures and regulatory measures are taken by the State Governments/UT Administrations. Bona fide residents of a State are generally issued ration cards for getting access to PDS. Ration card is not intended to be linked to any other benefit or confer any entitlement other than access to PDS.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निगरानी रखने में लोगों की भागीदारी
188. श्री छोटू भाई पटेल
श्री अजीत जोगी:

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निगरानी रखने में लोगों की, विशेषकर उपभोक्ताओं की, भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को क्या निर्देश दिये गये हैं :